

**FORM - III**

**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी [राजस्व], श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर  
दुर्गा देवी बनाम बलविन्द्र सिंह आदि  
अन्तर्गत धारा 92ए, 188 आरटीए प्रकरण संख्या 59 सन् 2024  
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024 /

तामिल हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

15.04.2024 वादीगण दुर्गा देवी पत्नी लालचन्द जाति अरोडा निवासी वार्ड नम्बर 03 केसरीसिंहपुर की ओर से अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह के द्वारा वादपत्र पत्र अन्तर्गत धारा 92ए, 188 आरटीए पेश किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 21.05.2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर

५  
२५/२५

आज भत पत्रावली वादीगण अधिवक्ता के द्वारा वादपत्र नौपेश करने पर पेशी में ली गई। वादीगण अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण अधिवक्ता द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 92A, 188 RTA नौपेश करने पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली विणीति होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो

*Handwritten signature and date*  
24/4/24



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर

